राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11( )/दा.घु.स.यो.–2025/बीसी/सान्याअवि/25/31884 जयपुर, दिनांकः–27.03.2025

दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय सबसे अधिक उपेक्षित और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय है। उक्त समुदाय की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इनका शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से **"दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना"** लागू करने की घोषणा की गयी है। वर्तमान में राज्य में 09 विमुक्त जातियां, 10 घुमन्तू जातियां एवं 13 अर्द्धघुमन्तू जातियां है। राज्य में आवासरत् विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार निम्न प्रकार से **"दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना" – 2025** के संचालन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करती हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :–**

(i) यह योजना दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना **2025** होगी।

(ii) यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।

2. परिभाषाएंः–

(i)'राज्य सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(ii)नोडल विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

(iii)अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

(iv)'जिलाधिकारी' ज़िले में नियुक्त विभाग के जिलाधिकारी संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि से है।

(v)राज्य स्तरीय समिति से तात्पर्य दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 04 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति से है।

(vi)जिला कार्यकारी समिति से तात्पर्य दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 05 के अन्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से है।

(vii)'विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा घोषित विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों से है।

(viii)परिवार से तात्पर्य परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है।

3. योजना हेतु पात्रताएंः–

(i) आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(ii)आवेदक राज्य सरकार के आदेश संख्या F.1(F)(2)SW/63 Dated 24-02-1964 द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

(iii)आवेदक के पास विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू पहचान प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

Signature valid
Digitally signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief Secretary
Date: 2025.03.27 16:38:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14435315

4. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं अंतर–विभागीय समन्वय समितिः–

राज्य स्तर पर ''**दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना**'' के प्रभावी क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं अंतर–विभागीय समिति का गठन निम्न प्रकार होगा–

1.प्रशासनिक सचिव, सान्याअवि	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक सचिव, शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा)/प्रतिनिधि	सदस्य
3. प्रशासनिक सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग/प्रतिनिधि	सदस्य
4. आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी में विभागों के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून होंगे।

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। उक्त समिति समय–समय पर दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत बजट आवंटन, बजट व्यय, आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति आदि की समीक्षा एवं दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना में संशोधन की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को इस हेतु सुझाव प्रदान करेगी।

5. जिला स्तरीय समितिः–जिला कार्यकारी समिति का गठन निम्न प्रकार होगाः–

1. जिला कलक्टर–अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक)–सदस्य
3. राज्य सरकार द्वारा नामित क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित दो स्वयंसेवी संस्थाएं–सदस्य
4. दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो उक्त जातियों से सम्बन्धित हों, जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा–सदस्य
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी–सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति की बैठक हर दो माह में आयोजित की जायेगी। आवश्यकता होने पर इससे पूर्व भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

6. योजना के घटकः–

(i) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू आवासीय विद्यालय।
(ii) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू छात्रावास।
(iii) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू शोध एवं संरक्षण केंद्र जैसलमेर।
(iv) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू साईकिल वितरण योजना।
(v) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू छात्रा स्कूटी वितरण योजना।
(vi) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
(vii) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
(viii) मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना।
(ix) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के बच्चों को नवजीवन योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था।

7. **विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू आवासीय विद्यालयः–** विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति/समुदायों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण, उपकरण(Equipments) एवं आधारभूत संरचना।

8. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू छात्रावासः– विमुक्त, घुमन्तू [illegible] के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, उपकरण(Equipments) एवं आ[illegible] संरचना।

Signature valid
Digitally signed by Kuldeep Ranka
Designation: Additional Chief Secretary
Date: 2025.03.27 16:38:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14435315

9. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू शोध एवं संरक्षण केंद्र जैसलमेरः–

(i) DNT Research & Preservation Centre :– राज्य सरकार द्वारा डीटीएनटी समुदाय के कला एवं संस्कृति को संर्वद्धन एवं सरंक्षण हेतु जैसलमेर जिले में 5 करोड रू की लागत से DNT Research & Preservation Centre के भवन का निर्माण किया गया है। DNT Research & Preservation Centre में विमुक्त घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों से संबंधित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों, साहित्य, वाद्ययंत्रों आदि के **संग्रहालय** की स्थापना की जायेगी। इस केंद्र में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों की कला, संस्कृति सम्बन्धित साहित्य अध्ययन केंद्र/पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी, जिसका उद्देश्य इन समुदायों की कला, शिल्प, साहित्य एवं अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के रक्षा, संरक्षण और प्रचार करना है।

(ii) उक्त केंद्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी सान्याअवि की अध्यक्षता में प्रबंध एवं संचालन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में उक्त समुदायों के प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे व ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

10. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू साईकिल वितरण योजनाः– विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति/समुदायों के विद्यार्थियों के लिए साईकिल वितरण योजना का संचालन किया जायेगा।

11. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू छात्रा स्कूटी वितरण योजनाः– विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति/समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रा स्कूटी वितरण योजना का संचालन किया जायेगा।

12. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः– विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही "डॉ. अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप फॉर डीएनटी स्टूडेंट्स" का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से पात्र विद्यार्थियों को जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

13. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः– विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही "डॉ. अम्बेडकर प्री मैट्रिक स्कोलरशिप फॉर डीएनटी स्टूडेंट्स" का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से पात्र विद्यार्थियों को जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

14. मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजनाः– आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। वर्तमान में, विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में परिवार स्थायी आश्रयों और आवासों के बिना हैं। अपने बदलने सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय खुद को एक स्थान या दूसरे स्थान पर बसने और वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा गया है कि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय कई स्थानों पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में झुग्गी/कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। वे या तो खुले, छोटे और अस्थाई तंबू में या छोटी झोंपड़ियों या तात्कालिक पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी बस्तियों में स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़कें और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की कमी है। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही "मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना" लागू कर दी गयी है। योजना का उद्देश्य राज्य के विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के व्यक्तियों जिनके पास स्वयं के पक्के मकान नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाओं सहित पक्के मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवा कर स्थायी रूप से बसा कर उनका पुनर्वास किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief Secretary
Date: 2025.03.27 16:38:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14435315

15. **विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के बच्चों को नवजीवन योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्थाः—** शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशित 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश से शेष/वंचित रहे नवजीवन योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाकर इन छात्रों के अध्ययन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अन्तर्गत अनुज्ञेय राशि के अनुसार राशि का पुनर्भरण नवजीवन योजनान्तर्गत किया जायेगा।

16. इस योजना के विभिन्न घटकों के लिए प्रतिवर्ष पृथक–पृथक बजट का आवंटन किया जायेगा।

17. **दिशा–निर्देशों में संशोधन एवं व्याख्या :—** इन दिशा–निर्देशों में किसी भी प्रकार के संशोधन राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं किये जाएंगे। इन दिशा–निर्देशों की व्याख्या निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जा सकेगी।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162500673 दिनांक 27.03.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः—एफ 11( )/दा.घु.स.यो.—2025/बीसी/सान्याअवि/25/31885-902 जयपुर, दिनांकः—27.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1) सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) अति मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) निजी सचिव माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर।
6) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
7) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान अजमेर।
10) सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
11) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
12) समस्त संभागीय आयुक्त...
13) समस्त जिला कलक्टर...
14) समस्त उपखण्ड अधिकारी...
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड...
16) ए.सी.पी. मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।
17) समस्त सयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
18) गार्ड फाईल।

Signature valid
Digitally signed by Kuldeep Ranka
अतिरिक्त मुख्य
Designation : Additional Chief Secretary
Date: 2025.03.27 16:38:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14435315